

केफकास (CAFCASS) की भूमिका
फैमिली-कोर्ट कार्रवाई में शामिल बच्चों के हितों का संरक्षण करना, और उनके कल्याण को प्रोन्नत करना

The Role of CAFCASS

Safeguarding and promoting the welfare of children involved in family court proceedings

(Hindi)

केफकास (CAFCASS) क्या है?

दी चिल्ड्रन ऐंड फैमिली-कोर्ट एडवाइज़री ऐंड सपोर्ट-सर्विस(CAFCASS), यानी बच्चों एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विषयों पर न्यायालय को सहयोग और प्रामर्श देने वाली सेवा उन बच्चों के हितों का संरक्षण ¹ करती है जो पारिवारिक मामलों से संबंधित कोर्ट कार्रवाई में शामिल हैं, और उनके कल्याण को प्रोन्नत करती है। हम अपना कार्य उन प्रैक्टिशनरों के सहयोग से करते हैं जो व्यावसयिक और अनुभवी होने के अलावा अपना कार्य संपूर्ण उत्साह से अनजाम देते हैं। अधिकांश प्रैक्टिशनर्स इस संस्था के कर्मी हैं, परंतु कुछ काम स्वरोज़गार-कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बाहरी प्रैक्टिशनरों को भी दिया जाता है। हम केवल फैमिली-कोर्ट्स से जुड़े मामलों में ही कार्य करते हैं। इस प्रकार के न्यायालय क्रिमिनल-कोर्ट्स यानी आपराधिक मामलों से जुड़े न्यायालय नहीं होते।

¹ दी चिल्ड्रन ऐक्ट के तहत बच्चों के लिये काम करने वाली संस्थाओं और ऐजेंसियों पर यह दायित्व है कि वे बच्चों के हितों का संरक्षण करने और उनके मामलों को प्रोन्नत करने की व्यवस्था करें। विशेष कर यह व्यवस्था करें कि बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित रहें, आनंदमय जीवन बिताएं एवं उपलब्धियां हासिल करें, सकारात्मक योगदान दें, और उनकी आर्थिक परिस्थिति कुशल रहे।

केफ़कास क्या करती है?

हमारा कार्य यह देखना है कि पारिवारिक मामलों से संबंधित कोर्ट-केसों में जो बच्चे शामिल हैं उनके हितों का संरक्षण, और उनके कल्याण को प्रोन्नत किया जाए। हमारे प्रैक्टीशनर्स, बच्चों और परिवारों के सहयोग से कार्य करते हैं, और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों की बात सुनी जाए और उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाएं। जिन केसों में मुख्यतः न्यायालय हमसे सहायता चाहता है उनका विवरण निम्नलिखित है:

- जब माता-पिता एकदूसरे से अलग रहने लगे, या जब उनमें तलाक होने लगे, परंतु उन्होंने अपने बच्चों के संदर्भ में कोई व्यवस्था न की हो
- जब परिवार के मामलों में सोशल-सर्विसेज़² की भूमिका हो, और संभावना यह हो कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें माता-पिता से अलग रख कर देखभाल की जाएगी
- जब बच्चों को गोद लेने की संभावना हो।

हम एक स्वतंत्र संस्था हैं। हम कोर्ट्स, सोशल-सर्विसेज़, शिक्षा या स्वास्थ्य विभाग, और इसी तरह की अन्य एजेंसियों के अधीन नहीं हैं।

केफ़कास के प्रैक्टीशनर्स किस-किस तरह के काम अनजाम देते हैं?

प्रैक्टीशनर्स का काम इसपर निर्भर है कि केस किस तरह का है, और कोर्ट ने उनसे क्या करने के लिये कहा है। प्रैक्टीशनर्स मुख्यतः चार तरह के काम अंजाम देते हैं:

- जब माता-पिता एकदूसरे से अलग होने लगे या एकदूसरे को तलाक देने लगे और अपने बच्चों के मामलों में सहमत न हों तो ऐसी परिस्थिति में चिल्ड्रन-एंड-फ़ैमिली रिपोर्टर्स (Children and Family Reporters) मामले को सुलझाने में सहायक होते हैं। कभी-कभी माता-पिता में इसी चरण पर समझौता हो जाता है, और कोर्ट को मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि समझौता न हो पाए तो समस्याओं के समाधान के लिये हो सकता है कि चिल्ड्रन-एंड-फ़ैमिली रिपोर्टर्स को कुछ गहराई में जाकर काम करना पड़े, या कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिये ज्यादा छानबीन करनी पड़े।
- जिन केसों में सोशल-सर्विसेज़ शामिल हो, या जब गोद लेने के मामलों में दो पक्षों के बीच मतभेद हो तो चिल्ड्रस-गार्जियन (Children's Guardians) बच्चों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- रिपोर्टिंग-ऑफ़ीसर्स (Reporting Officers) सुनिश्चित करते हैं कि माता-पिता यह समझ लें कि उनके और बच्चों के लिये गोद लिये जाने का क्या मतलब है, और क्या उन्हें इसके लिये सहमत होना चाहिये या नहीं।
- माता-पिता यदि अलग-अलग रहने लगे या एकदूसरे को तलाक देने लगे परंतु बच्चों के मामले में सहमत न हों तो कभी-कभी न्यायालय गार्जियन-एट-लाइटम (Guardian ad Litem) नियुक्त करती है, लेकिन ऐसा तब ही होता है जब केस में कोई विशेष उलझन हो। ऐसी परिस्थिति में बच्चे को भी एक पक्ष मान लिया जाता है, जिसका अलग से प्रतिनिधित्व करने के लिये गार्जियन-

² इस पुस्तिका में सोशल-सर्विसेज़ का मतलब वह काम है जो लोकल-एथॉरिटी सामाजिक कार्य अंजाम देने के लिये करती हैं, विशेषतः से बच्चों की देखभाल का काम

एट-लाइटम (Guardian ad Litem) को नियुक्त किया जाता है, जो बच्चों के हितों एवं अधिकारों का संरक्षण करता है।

अलग-अलग तरह के प्रैक्टिशनरों की भिन्न भूमिकाओं में क्या-क्या बातें समान होती हैं?

इन सबकी भूमिकाओं में निम्नलिखित में से कुछ या सब तरह के कार्य शामिल हैं:

- बच्चे के हितों का सब से ज़्यादा ध्यान रखना
- उन हितों के संरक्षण की पूरी कोशिश करना
- उचित छानबीन करना
- कोर्ट के लिये रिपोर्ट तैयार करना

हर प्रैक्टिशनर के काम का एक एहम हिस्सा यह है कि वह बच्चे के साथ समय बिता कर उससे बातें करे, और उसकी बातों से यह जानने की कोशिश करे कि बच्चा क्या सोचता और चाहता है।

केफ़कास को कैसे मालूम होता है कि बच्चे के हित में क्या है?

बच्चों और परिवारों के मामलों से निपटने में हमारे प्रैक्टिशनर्स प्रशिक्षित और अनुभवी होते हैं।

केफ़कास को जो कुछ बताया जाता है क्या वह गोपनीय रहता है?

बकेफ़कास के प्रैक्टिशनरों को जो भी सूचना मिलती है वह कोर्ट को दी जाने वाली रिपोर्ट में शामिल की जा सकती है, और अन्य मामलों में भी उस जानकारी को प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिये कभी-कभी यह आवश्यक हो जाता है कि यदि बच्चे के हितों का संरक्षण करना हो तो जानकारी किसी अन्य ऐजेंसी को भी दी जाए। इसके अलावा, हम अधिकृत हैं कि बच्चों एवं परिवारों के हित में जो विषय हैं उनपर रीसर्च (अनुसंधान) करें। इसलिये रीसर्च करने के मामलों में कभी-कभी आपके द्वारा दी जाने वाली सूचना आपकी पहचान बताए बिना प्रयोग की जा सकती है।

क्या कोर्ट वही करेगी जो बच्चा चाहता है?

प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट में हमेशा बच्चे की पसंद और इच्छाओं के बारे में बताया जाता है। कोर्ट, बच्चे की पसंद पर ध्यान अवश्य देगी, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि बच्चे की पसंदनुसार ही निर्णय लिये जाएंगे। कोर्ट यह देखेगी कि बच्चे के हित में सब से बेहतर क्या रहेगा।

क्या कोर्ट वही करेगी जिसके लिये केफ़कास के प्रैक्टिशनर ने सुझाव दिया है?

यह निर्णय तो कोर्ट ही लेती है कि केस में क्या होगा, परंतु जो कुछ प्रैक्टिशनर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। कोर्ट यदि प्रैक्टिशनर के सुझावों से असहमत है तो बताएगी कि उसके क्या कारण हैं।

क्या आपकी राय महत्वपूर्ण है?

हमारी सेवाओं और गतिविधियों के बारे में हम आपकी राय का स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी सेवाओं को बेहतर बनाने और उनको विकसित करने के लिये आपकी टिप्पणियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारी सेवाएं प्रयोग करने वाले हमें उन सेवाओं के स्तर के बारे में बताते रहें, वह चाहे बच्चे और नवयुवक हों, माता-पिता हों, सगेसंबंधी हों, न्यायालय या अन्य ऐजेंसियां हों।

यह प्रतिसूचना (फीडबैक) निम्नलिखित के संबंध में हो सकती है:

- हमारी नीतियों, कार्य-शैली या सेवा के किसी भी अन्य पहलू के बारे में आपकी टिप्पणी हो सकती है
- हमारे काम या किसी प्रैक्टिशनर के काम की प्रशंसा हो सकती है
- हमारे काम के किसी पहलू से संबंधित शिकायत हो सकती है

सभी तरह की टिप्पणियों, प्रशंसाओं और शिकायतों की हम पड़ताल करेंगे, उनकी मॉनीटरिंग और उनपर पुनर्विचार करेंगे, और इन सबके अध्ययन से जो भी निष्कर्ष निकाले जाएं उनको हमारी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाएगा।

अपनी सेवाओं को विकसित करने और अनुसंधान (रीसर्च) के लिये हम आपसे केस समाप्त हो जाने के बाद संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपके अनुभवों के बारे में जानकारी ली जा सके।

अपनी टिप्पणियां और अभिवादन हम तक कैसे पहुंचाएं

अपनी टिप्पणियां और अभिवादन हम तक पहुंचाने के लिये अपने प्रैक्टिशनर से बात करें (बेहतर यह होगा कि लिखित रूप में दें), या अपने स्थानीय केफ़कास मैनेजर को उस पते पर भेजें जो इस पुस्तिका के अंत में दिया गया है। आप चाहें तो अपनी राय इत्यादि हमारे नेशनल-ऑफ़िस को भी इस ई-मेल पते पर भेज सकते/सकती हैं: yourviews@cafccass.gov.uk

आपका केस समाप्त हो जाने के बाद हो सकता है कि हम आपके केस से संबंधित प्रैक्टिशनर या उसके मैनेजर से प्रतिसूचना (फीडबैक) के लिये एक मीटिंग भी करें।

केफ़कास द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से यदि मैं संतुष्ट नहीं हूं तो क्या करना चाहिये?

सभी पारिवारिक मामलों में हम सर्वोच्च स्तर की सेवा देने का प्रयत्न करते हैं, और बच्चों का प्रतिनिधित्व ऐसे समय में करते हैं जबकि उन्हें इसकी सब से ज्यादा आवश्यकता है। इसलिये, हमारे लिये यह जानना अत्यावश्यक है कि हमारी सेवाएं कहां-कहां इन उद्देश्यों के अनुसार नहीं दी जा सकी हैं।

हमारी एक शिकायत प्रणाली है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि शिकायतों पर संभवतः तुरंत, निष्पक्ष और प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाए। इस दस्तावेज़ में आगे चल कर शिकायत प्रणाली से परिचय कराया गया है। संपूर्ण प्रक्रिया का विवरण सेवाभोक्ताओं के लिये हमारी एक पुस्तिका ³ में किया गया है, जो आपके स्थानीय केफ़कास कार्यालय से मिल सकती है, या हमारी वेबसाइट www.cafccass.gov.uk के इंफ़ॉर्मेशन-सैक्शन से प्राप्त की जा सकती है।

³ Your Views Count – How to make a comment, compliment or complaint about our work

यदि आपको शिकायत करनी हो तो क्या करना चाहिये

सेवा के किसी भी पहलू से यदि आप असंतुष्ट हैं तो जो प्रैक्टिशनर आपके केस से संबद्ध है सबसे पहले उससे अवश्य बात करें। संभव है कि शिकायत किये बिना ही मामले का समाधान किया जा सके। दूसरा विकल्प यह है कि केस समाप्त हो जाने के बाद एक प्रतिसूचना (फीडबैक) मीटिंग के लिये अनुरोध करें। इसके बारे में ज़्यादा व्याख्या पिछले अनुच्छेद (पैराग्राफ) में की गई है।

यदि आप ऐसा न करके शिकायत ही करना चाहें तो जितनी जल्दी संभव हो सके अपने स्थानीय केफ़कास मनेजर से संपर्क करें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि शिकायत के लिये समयाविधि का प्रावधान है, जिसका ब्योरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

रिपोर्ट की विषयवस्तु से यदि आप असहमत हैं तो बेहतर यह होगा कि इस मामले को कोर्ट में सुनवाई के दौरान उठाएं।

हमसे शिकायत करके कोर्ट के निर्णयों को नहीं बदला जा सकता। यदि आप कोर्ट के निर्णय से असहमत हैं तो यदि संभव हो तो उसके विरुद्ध अपील के लिये कानूनी सलाह लें।

इस बात का ध्यान रखें कि केफ़कास से शिकायत करने के लिये एक समयाविधि का प्रावधान है। व्यस्कों के लिये यह अवधि घटनाक्रम या मामला घटित होने से तीन महीने है। समयाविधि के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिये कृपया वह पुस्तिका पढ़ें जिसका शीर्षक है: *Your Views Count* यानी आपकी राय महत्वपूर्ण है

केफ़कास आपकी शिकायत की रसीद पाँच कार्य-दिवसों में आपको भेजेगी।

बच्चे कभी भी शिकायत कर सकते हैं। कोई बच्चा यदि शिकायत करना चाहे तो संपूर्ण शिकायत-प्रणाली के दौरान बच्चे को एक स्वतंत्र अधिवक्ता (एडवोकेट) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

बच्चों की सुरक्षा

हम अन्य ऐजेंसियों के माध्यम से यह पड़ताल करते हैं कि बच्चों को गंभीर रूप से हानिग्रस्त होने की संभवाना तो नहीं है। इसमें ऐसी परिस्थितियाँ भी शामिल हैं जिनमें बच्चों ने घरेलू उत्पीड़न (डॉमेस्टिक वायलेंस) होता देखा हो। पुलिस, सोशल-सर्विसेज़ और चाइल्ड-प्रोटेक्शन रजिस्टर के माध्यम से सामान्यतः पड़ताल की जाती है। अन्य ऐजेंसियों जैसे जीपी, स्कूल इत्यादि के माध्यम से भी यदि अतिरिक्त पड़ताल की आवश्यकता हुई तो हम इस बारे में पहले हम आपको बताएंगे। यह सूचना कोर्ट के लिये रिपोर्ट तैयार करने में प्रयोग की जाएगी, और संभव है कि सोशल-सर्विसेज़ को भी रिपोर्ट की एक कॉपी दी जाए।

हम किसी ऐसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करेंगे जिसमें बच्चों, नवयुवकों या उनके अभिभावकों की सुरक्षा को जोखिम का सामना हो।

सांस्कृतिक विविधता

हम बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी करने के मामलों में अपना संपूर्ण समर्थन देते हैं, और जिस कम्युनिटी में वे पले-बढ़े हैं उस कम्युनिटी के मूल्यों का आदर करते और उनको मान्यता देते हैं। हम अपने सेवाभोक्ताओं की विविध संस्कृतियों से संबंधित जानकारी को मॉनीटर करते हैं, और उसका अभिलेखा तैयार करते हैं, उदाहरण के लिये सेवाभोक्ताओं की जातीयता (एथनिक ओरिजिन), भाषा और विशेष आवश्यकताओं का ब्योरा, ताकि बच्चों और परिवारों को दी जाने वाली सेवाओं में निरंतरता से सुधार लाए जा सकें। इस सूचना

की सहायता से हम जातीय समानता और सेवाओं तक समान पहुंच के मामलों को भी प्रोन्नत कर सकते हैं, जैसा कि रेस-रिलेशंस अमेंडमेंट ऐक्ट (Race Relations Amendment Act) 2000, डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन ऐक्ट (Disability Discrimination Act) 1995 और वैल्श-लैंग्वेज ऐक्ट (Welsh Language Act) 1993 के तहत हम पर दायित्व है।

सूचना

सूचना को समायोजित करना, उसको उपयोग करना और उपलब्ध कराना कानून के अनुसार किया जाता है। इस संदर्भ में हो सकता है कि निम्नलिखित बिंदु आपके लिये प्रासंगिक हों:

- हमारे काम का विषय ही ऐसा है कि हमें अपने सेवाभोक्ताओं से संबंधित निजी जानकारी समायोजित करनी होती है। सभी समायोजन प्रक्रियाएं, डेटा-प्रोटेक्शन ऐक्ट (Data Protection Act) 1998 के तहत अनजाम दी जाती हैं। डेटा-प्रोटेक्शन रजिस्टर में हमारी प्रविष्टि (एंट्री) इस वेबसाइट पर देखी जा सकती है: www.cafcass.gov.uk
- डेटा-प्रोटेक्शन ऐक्ट के तहत उस सूचना की कॉपी हमसे मांगी जा सकती है जो आपके बारे में हमने अपने पास रखी है।
- फ्रीडम-ऑफ-इनफॉर्मेशन ऐक्ट (Freedom of Information Act) 2000 के तहत आपको सूचना उपलब्ध कराने के लिये हम वचनबद्ध हैं।

डेटा-प्रोटेक्शन ऐक्ट के नियमानुसार हम किस तरह काम करते हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिये कृपा हमारी वेबसाइट www.cafcass.gov.uk के इन्फॉर्मेशन-सैक्शन को विज़िट करें, या अपने स्थानीय केफ़कास कार्यालय से संपर्क करें।

हमारी वेबसाइट पर हमारी अन्य सभी सेवाओं के बारे में और ज़्यादा जानाकरी दी गई है।

V3-05



Putting children first in
family courts